ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 346-349

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्रबन्ध एवं संगठन– उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के विशेष सन्दर्भ में

डॉ0 आसिम अली

अर्थशास्त्र विभाग, इंटीग्रल डिग्री कॉलेज, सैफनी, रामपुर (उ0प्र0) भारत

Received-21.03.2023, Revised-27.03.2023, Accepted-30.03.2023 E-mail: dr.asimali786@gmail.com

सारांशः ***आज कंल प्रत्येक राष्ट्र में कुछ औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रम सरकारी स्वामित्व एवं प्रबन्ध के अन्तर्गत चलाये जाते हैं, ऐसे उपक्रमों सरकारी उपक्रम कहते हैं। इसे कई अन्य नामों सं भी संबोधित किया जाता है। जैसे – सरकारी उपक्रम , सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय उपक्रम (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा राष्ट्रीयकृत उपक्रम इत्यादि) वास्तव में ये ऐसे उपक्रम है जिनकी स्थापना सरकार द्वारा जनहित में सरकारी कोष से धन प्रदान करके की जाती है।***

विश्व के प्रायः सभी राष्ट्रों में सरकारी उपक्रम की स्थापना की जाती है। साम्यवादी राष्ट्र जैसे – चीन में सभी उपक्रम सरकारी है। पूंजीवादी राष्ट्रों में भी जैसे – इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रांस और कनाडा में भी सरकारी उपक्रम स्थापित किये जाते है। इन उपक्रम की स्थापना या तो विद्यमान उपक्रम का राष्ट्रीयकरण करके या सरकार द्वारा नये उपक्रमों की स्थापना करके की जाती है। खेरा के शब्दों मे सार्वजनिक उपक्रम का तात्पर्य औद्योगिक वाणिज्यिक एवं आर्थिक क्रियाओं के केन्द्रिय सरकार द्वारा या दोनों के संयुक्त संचालन से है।

कुंजीभूत शब्द– औद्योगिक एवं वाणिज्यिक, सरकारी स्वामित्व, सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र ।

इन साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में सार्वजनिक उपक्रम को एक ऐसे उपक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर राष्ट्रीय राज्य या स्थानीय सरकार का स्वामित्व होता है। जो एक मूल्य पर सेवाओं या माल की आपूर्ति करता है और लगभग स्वावलम्बी आधार पर चलाया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम का संगठन एवं प्रबन्धः– संगठन शब्द का प्रयोग दो अर्थो मे किया जा सकता है। ढाँचे के रूप में, प्रक्रिया या कार्य के रूप में। ढाँचे के रूप में संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो सामान्य उद्देश्यो की पूर्ति हेतु मिल–जूलकर निर्धारित नियमों के अधीन कार्य करते है। ये क्षैतिज एवं उग्रद संबन्धो का एक ऐसा ढाँचा है, जिसमे संस्था मे कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों के अधिकार दायित्व एवं आपसी संबन्ध सुनिश्चित होते है।

इसे आपसी सम्बन्धों का एक ढाँचा माना है जिसे उपक्रम को एकबद्ध किया जाता है। उनके अनुसार संगठन एक ऐसा ढाँचा है जिसमे व्यक्तिगत प्रयत्न को सम्बन्धित किया जाता है। डेविस ने इसे व्यक्तियों का एक समूह माना है जो एक नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते है । इस सन्दर्भ मे संगठन के व्यक्तियों का एक समूह कह सकते है जो निष्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमबद्ध तथा नियंत्रण रूप में कार्य करता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि स्थैतिक अर्थ में संगठन एक उेसा ढाँचा है जिसके अर्न्तगत विभिन्न कर्मचारियों के मध्य अधिकार एवं दायित्व का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है ताकि सभी सदस्यो को एक सूत्र में बाँधा जा सके तथा प्रत्येक सदस्य को ये स्पष्ट हो कि उसे किस व्यक्ति के निर्देशन में कार्य करना है। प्रबन्धकीय कार्य के रूप में संगठन को एक प्रक्रिया मानी गयी है जिसमें कार्यों का निर्धारण एवं समूहीकरण उनका व्यक्तियों में विभाजन के मध्य अधिकार एवं दायित्व सम्बन्धों का निर्माण किया जाता है।

इस सन्दर्भ में संगठन को किसी उपक्रम की क्रियाओं को परिभाषित एवं वर्गीकृत करने और उनके मध्य अधिकार एवं सम्बन्ध स्थापित करने की एक प्रक्रिया माना है। इस संगठन संस्था में किये जाने वाले कार्यो को निश्चित एवं श्रेणीबद्ध करने दायित्व एवं अधिकारों को परिभाषित तथा प्रत्यायोजित करने और उद्देश्यो की प्राप्ति में व्यक्तियों को सर्वाधिक प्रभावशाली ढंग से मिल–जूल कर कार्य करने हेतु सम्बन्धों को स्थापित करने की प्रक्रिया माना है। अतः गतिशील अर्थ मे संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अर्न्तगत उद्देश्यों से प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यो का विभाजन उनका विभिन्न व्यक्तियों को सौपना तथा संस्था के सभी अंगो को सूत्र मे बांधने के लिए विशिष्ट विभागो में सामंजस्य स्थाजित करना सम्मिलित होता है।

संगठन ढाँचे के दो स्वरूप हो सकते है :–

1. अनौपचारिक संगठन, 2. औपचारिक संगठन

1. अनौपचारिक संगठन :– इस संगठन का कोई निश्चित ढाँचा नही होता है और प्रबन्धक इसकी रचना भी नही करते है ये सदस्यो के आपसी मेल जोल एवं अनौपचारिक संबन्धो के कारण स्वतः उत्पन्न होता है। इस संगठन में निरीक्षक अधीनस्थ संबन्ध नही होते और किसी भी व्यक्ति के अधिकार में कर्तव्य स्पष्ट रूप से निर्धारित नही किये जाते है। कोई भी सदस्य किसी दूसरे सदस्य के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नही होता है इसमें कोई नियम या सीमाएं निर्धारित नहीं की जाती है। संक्षेप में जहां भी लोग मिल–जुलकर कार्य करते है वही उनमे निरन्तर सम्पर्क उत्पन्न हो जाते है। इन्हीं सम्बन्धो एवं समूहो को अनौपचारिक संगठन कहा जाता है इससे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

2. औपचारिक संगठन :– औपचारिक संगठन वह ढाँचा है जिसका निर्माण संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र व स्थिति को उनके अधिकार व कर्तव्य स्पष्ट करके निश्चित किया जाता है। यह संगठन शीर्ष व समानान्तर औपचारिक संबन्धों की स्थापना से उत्पन्न होता है और इसकी रचना प्रबन्धक जान–बुझकर सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते है।

ये एक ऐसा ढाँचा है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति की कार्यसीमा निर्धारित होती है और उसे निश्चित नियमों व आदेशों का कठोरता से पालन करना होता है। औपचारिक संगठन मेंु श्रम विभाजन का प्रयोग किया जाता है और इसमें अधिकारो का प्रत्यायोजन ऊपर से नीचे की ओर होता है।औपचारिक संगठन प्राधिकार संबन्धो का एक ढाँचा है किसी संस्था के सदस्यो को विभिन्न प्रकार से संगठित किया जा सकता है और उनमे पारम्परिक संबन्ध स्थापित किये जा सकते है।

अधिकारो का यह वितरण संबठन को परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। व्यवहार में संगठन के कई स्वरूप होते है।

1. रेखा संगठन, 2. कार्यात्मक संगठन, 3. रेखा एवं स्टाफ संगठन ,4. समिति संगठन, 5. सांचा संगठन, 6. प्रक्षेपीय संगठन

1. रेखा संगठन :– रेखा संगठन वह प्रत्यक्ष संबन्ध है जिसमे प्राधिकार का ऊपर से नीचे की ओर तथा उत्तरदायित्व का नीचे से ऊपर की ओर सीधा प्रवाह रहता है। इस प्रकार आदेशों की एक शीर्ष रेखा बन जाती है जिसमे अधिकार प्रत्यायोजन की कड़िया होती है। मेकफार लैण्ड के शब्दों में रेखा संगठन में प्रत्यक्ष शीर्ष संबन्ध होता है जो प्रत्येक स्तर की स्थिति एवं कार्य को उससे ऊपर तथा नीचे के स्तरो से जोड़ते है। रेखा संगठन संचालक मण्डल से लेकर संस्था के निम्नतम स्तर तक आदेशो की सीधी श्रृंखला पायी जाती है।

2. कार्यात्मक संगठनः– कार्यात्मक संगठन में उपक्रम को विभिन्न कार्यो में बाँटकर प्रत्येक कार्य के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किये जाते हैं। प्रत्येक विशिष्ट कार्य के लिए पृथक खण्ड होता है उस खण्ड का अधिकारी उस कार्य के लिए निर्णय लेने का अधिकार रखता है और संगठन में किसी भी स्थान पर होने वाले उस कार्य को निगरानी करता है। उस कार्य से संबन्धित सभी व्यक्तियों पर नियंत्रण रखता है। संगठन के इस प्रारूप का विकास एक डब्ल्यू टेलर ने किया था। उन्होने इसे एक ऐसा संगठन माना है जिसमें कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही कार्य करना पड़ता है।

3. रेखा एवं स्टाफ संगठन :– ऐसा समझा जाता है कि रेखा संगठन में निरंकुशता का अधिक्य है जबकि कार्यात्मक संगठन में शिथिल अनुशासन है। रेखा एव स्टाफ संगठन में इन दोनों संगठनो के गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है इसमें अधिकार एवं दायितव का क्रम रेखा अधिकारियों को देते है। उन्हें निर्णय देने का
अधिकार नहीं होता है। निर्णय लेना व आदेश देना विभागाध्यक्षों का कार्य होता है। इस प्रकार कार्य करने तथा परामर्श देने के लिए पृथक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। रेखा अधिकारी अपना निर्णय स्टाफ विशेषज्ञों की सलाह से लेते है लेकिन ये इस लिए पूरक सहायक या मस्तिश्क का कार्य करते है इस प्रारूप मे विशिष्टीकरण के बावजूद आदेशो की एकात्मकता बनी रहती है। संक्षेप में कार्यकारी अधिकारियों की प्रशासकीय कुशलता तथा स्टाफ विशेषज्ञों का विशिष्ट परामर्श इस संगठन की आत्मा है।

4. समिति संगठन :– समिति दो या अधिक व्यक्तियों का समूह है जो सौंपे गये कार्य को सम्मिलित रूप से करते हैं। संगठन का ये स्वरूप समूह के रूप में कार्य करती है और सदस्यो में विचारो का स्वतंत्र आदान–प्रदान होना आवश्यक है न्यूमैन ने इसे व्यक्तियो को एक ऐसा समूह माना है, जिसे कुछ प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है। टेरी ने इसे चुने हुए या नियुक्त व्यक्तियों का एक ऐसी संस्था माना है जो ऐसे मामलो पर विचार विमर्श करने के लिए संगठित की जाती है जो इनके समक्ष लाये जाते है। समितियाँ अनेक प्रकार की होती हैं– स्थायी एवं अस्थायी समितियां, प्रशासनिक एवं सलाहकार समितियां, उत्पादन एवं वित्तीय समितियां इत्यादि । वास्तव मे समितियां संगठन का एक अलग रूप नही होती बल्कि संगठन के प्रत्येक स्तर पर सहायक के रूप मे गठित की जाती है।

5. सांचा संगठन :– बड़े उपक्रमों में व्यवसाय की जटिलताओं को देखते हुए संगठन के नयें स्वरूपो का प्रयोग बढ़ रहा है। सांचा संगठन का एक ऐसा ही संगठनात्मक ढाँचा है। इसके अर्न्तगत द्विआकारी संबन्धों का प्रयोग किया जाता है एक तो सामान्य कार्यात्मक ढाँचा होता है जिसमें विभिन्न कार्यात्मक विभागों के लिए कार्यात्मक प्रबन्धक होते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष परियोजनाओं के लिए कार्यो के समन्वय हेतु एक परियोजना की समाप्ति के पश्चात् कर्मचारी अपने अपने विभागों को लौट लाते है। सांचा संगठन उन उपक्रमो के लिए उपयुक्त है जिनमें छोटी– छोटी अनेक परियोजनाओं का कार्य होता हैं।

6. प्रक्षेपीय संगठनः– षुद्ध प्रक्षेपीय संगठन में कार्य तथा इसकी पूर्ति हेतु आवश्यक साधनों का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रक्षेप प्रबन्धक को सौपा जाता है। प्रत्येक परियोजना के लिए एक नियमित एवं स्वतंत्र खण्ड होता है। परियोजना के लिए कर्मचारी अन्य विभागों से नही संस्था के बाहर से भी नियुक्त किये जाते है। प्रत्येक परियोजना पर संबन्धित प्रबन्धक का पूर्ण नियंत्रण रहता है। प्रक्षेपीय संगठन उन उपक्रमों के लिए उपयुक्त है, जिनमें थोड़ी परियोजनाओं पर कार्य होता है किन्तु प्रत्येक परियोजना बहुत बड़ें आकार की होती है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम में रेखा एवं प्रारूप को अपनाया जाता है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

संगठन के प्रबन्ध को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है –

1. सलाहकार– प्रत्येक वर्ग में उन कर्मियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रबन्ध निदेशक के प्रति उत्तरदायी होते है। जबकि दूसरे वर्ग के उन कर्मियों को सम्मिलित किया जाता है जो महाप्रबन्धक के प्रति उत्तरदायी होते है। पहले वर्ग में संस्था सचित, वित्तीय सलाहकार कानूनी सलाहकार तथा अनुसंधान एवं विकास प्रबन्धक आदि कार्मिक प्रबन्धक इत्यादि कार्मिक सम्मिलित किये जाते है।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण नियम का ढाँचा वाश्तव में संगठन के रेखा तथा कर्मचारी प्रारूपों का सामान्जस्य है। इस प्रकार यह नियम दोनो प्रकार के संगठन का लाभ प्राप्त करता है। जहां एक ओर रेखा अथवा उदरा संगठन प्रारूप आदेशो की एकता पर बल देता है वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठन का प्रमुख तत्व है नियंत्रण का अत्यधिक विकेन्द्रीकरण। नियम इन दोनो प्रकार के तत्वों में एक विवेकपूर्ण संतुलन स्थापित करता है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण नियम का संगठन प्रमुखता रेखा संगठन के सिद्धान्तों पर आधारित है, और आदेशों का प्रवाह उपर से नीचे के कर्मचारियों की ओर चलता है। इन रेखा संगठन के अधिकारियों की सहायता के लिए अनेक परामर्शदाता अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जो किसी कार्य विशेष के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते है और रेखा अधिकारियों को महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देते है। सिद्धान्तः इन सलाह देने वाले विशेषज्ञो के पास इन सलाहों को क्रियान्वित करने का अधिकार नही होता है। वह अधिकार जो वस्तुतः रेखा अधिकारियों के पास ही होता है। इन विशेषज्ञ अधिकारियों की उपादेयता आधुनिक संगठनात्मक ढाँचे में होने वाले परिवर्तन तथा उसकी क्लिष्टता के सन्दर्भ में और महत्वपूर्ण हो जाती है।

बीमा कम्पनियां, वित्तीय न्यास तथा वित्तीय मान्यता प्राप्त संघ तथा कृषि वस्तुएं या अनुसूचित सामग्री का व्यवहार करने वाली कम्पनियों द्वारा चयनित एक निदेशक मण्डल।

निदेशक मण्डल का कार्य :– उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के द्वारा अलग–अलग निदेशक मण्डल की नियुक्ति की गयी हैं जो जिस क्षेत्र का निदेशक मण्डल नियुक्त किया गया है उस क्षेत्र की सभी कार्यों का संचालन उसके दिशा निर्देश द्वारा ही किया जाता है।

प्रबन्धक निदेशक की नियुक्ति :– प्रबन्धक निदेशक जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निवेशकों की सलाह से की जाती है।

प्रबन्ध निदेशक का कार्य :– कार्यकारी समिति तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा ही भण्डारण निगम की समस्त उत्तरदायित्वो का निवग्हन किया जाता है । यह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नीतियों एवं निर्देशों के आधार पर संस्था के कार्यप्रणाली का निर्देशन करता है।

सामान्य प्रबन्धक की नियुक्ति :– सामान्य प्रबन्धक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी समिति की सलाह पर की जाती है। इसके अर्न्तगत लोक शिकायत प्रबन्धक एवं कार्मिक प्रबन्धक कार्य करते है। इनकी नियुक्ति भी कार्यकारी समिति की सलाह से राज्य सरकार ही करती है।

लोक शिकायत का कार्य :– लोक शिकायत प्रबन्धक का कार्य जनसूचना अधिकार द्वारा या किसी भी प्रकार के मांगे गये सूचनाओं को उपलब्ध कराना होता है।

कार्मिक प्रबन्धक का कार्य :– कार्मिक प्रबन्धक का कार्य भुगतान प्रमोशन एवं समस्त सूचनाओं से सम्बन्धित जाँच करना होता है।

वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति :– वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। इनके अर्न्तगत मुख्य नियंता एवं विधि सलाहकार भी कार्य करते है।

इनकी भी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है।

मुख्य नियंता का कार्य – मुख्य नियंता के कार्यो से आशय गोदामों एवं अन्य निर्माण कार्यो को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने से होता है।

मुख्य सलाहकार का कार्य – विधि सलाहकार से आशय किसी संस्था में कार्य को सुचारू करना एवं समस्याओं के निदान के सुझाव देना होता है।

व्यावसायिक प्रबन्धक की नियुक्ति – इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है इनके अन्तर्गत निरीक्षण प्रबन्धक एवं योजना प्रबन्धक कार्य करते है। इनकी भी नियुक्ति कार्यकारी समिति की सलाह पर राज्य सरकार ही करती है।

निरीक्षण प्रबन्धक कार्य का कार्य – इनका कार्य संस्था का निरीक्षण करना होता है जोकि संस्था मे हुई समस्याओं का पता लगायी जा सके और इसका निराकरण आसानी से किया जा सके।

योजना प्रबन्धक का कार्य – संस्था में नयी योजनाओं को बढानें का काय योजना प्रबन्धक करता है यह योजना प्रबन्ध निदेशक निदेश मण्डल, कार्यकारी समिति एवं चेयरमैन के निर्देशन में लागू किया जाता है।

जन प्रन्यास – इस प्रकार के प्रबन्ध प्रारूप में प्रायः सार्वजनिक हित के लोक उद्योग का संचालन किया जाता है। इस प्रकार के ट्रस्ट प्राधिकरण सामान्यतः स्वायत्तशासी संस्था के रूप में ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट में राज्य की सम्पत्ति को रखते

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

है और प्रयोग करते है। ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी संसद अथवा वैधानिक अधिनियम द्वारा शाषित होते है, जो इस ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र आदि को स्पष्ट करता है।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम का समान्य पर्यावेक्षण तथा प्रबन्ध एक प्रबन्धक मण्डल के अधीन है। ये मण्डल कार्यकारी समिति तथा प्रबन्ध निदेशक की सहायता से इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। यह मण्डल राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नितियों एवं निर्देशों के आधार पर संस्था के कार्यप्रणाली का निर्देशन करता है। प्रबन्धक मण्डल की संरचना निम्न है –

1. राज्य सरकार द्वारा मनोनित 6 निदेशक
2. राज्य सहकारिता विकास निगम अधिनियम 1962 द्वारा स्थापित एवं राज्य सहकारिता विकास निगम द्वारा मनोनीत एक निदेशक मण्डल
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा मनोनीत एक निदेशक मण्डल
4. अन्य अनुसूचित बैंक द्वारा चयनित एक निदेशक मण्डल
5. सहकारी समितियां द्वारा चयनित एक निदेशक मण्डल
6. बीमा कम्पनियां, वित्तीय न्यास तथा वित्तीय मान्यता प्राप्त संघ तथा कृषि वस्तुएं या अनुसूचित सामग्री का व्यवहार करने वाली कम्पनियों द्वारा चयनित एक निदेशक मण्डल।
7. प्रबन्ध निदेशक जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निवेशको की सलाह से की गयी हैं।

संचालक की अयोग्यताएं – एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के संचालक के रूप में अयोग्य है यदि –

1. वह पागल हो जाये या अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाये।
2. यदि उसे किसी समय दिवालीया घोषित किया गया है या उसने अपने द्वारा लिए गये ऋणों का भुगतान सही समय पर नही किया है।
3. यदि उसे किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया है जो उसके मानसिक दुष्टता (अर्द्धमता) का परिचय देता है तथा जिसके लिए उसे कम से कम 6 महिने की सजा मिली हो (यदि सजा भुगतने की तिथि से 5 वर्षो की अवधि पूरी हो गयी हो तो यह शर्त लागू नही होगा)
4. यदि उसे किसी सरकारी संस्था से या फिर सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले निगम की सेवा से हटाया बया है या बर्खास्त किया गया है।
5. प्रबन्ध निदेशक के अतिरिक्त यदि वह व्यक्ति केन्द्रीय भण्डारण या राज्य भण्डारण निगम का वेतनभोगी अधिकारी है। यदि वो उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम से सम्बंधित किसी

वतर्मान अनुबन्ध या कार्य में व्यक्तिगत रूचि रखता है। यह शर्त निजी कम्पनी के (जिसे कम्पनी अधिनियम 1958 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है) अंशधारियो के संबध में (संचालक को छोड़कर) लागू किया नही होती लेकिन उस व्यक्ति के राज्य भण्डारण निगम के समक्ष यह व्यक्त करना होता कि सम्बंधित कम्पनी में उसके द्वारा भरित अंशो की संख्या एवं उसकी प्रकृति क्या है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. खेरा, एस.एस. गर्वनमेंट इन बिजनेस–नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1977, पृष्ठ–10।
2. ओम, डॉ0 प्रकाश, –दि थियरी ऑफ वाकिंग स्टेट कार्पोरेशन 1971 पृष्ठ– 37।
3. कुण्टज एवं ओडोनेल– कुण्टज पब्लिशर – मैक्ग्रोहिल बुक कम्पनी न्यूयार्क 1961 – पृष्ठ–165।
4. हेमैन टी प्रोफेशनल मैनेजमेंट।
5. ऐलन एल0ए0 मैनेजमेंट एण्ड आर्गनाईजेशन।
6. मेकफार लैण्ड डी.ई. – मैनेजमेंट प्रिंसिपल एण्ड प्रैक्टिस।
7. एफ0डब्ल्यू टेलर,– प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।
8. न्यू मैन डब्ल्यू0 एच0 एण्ड वारेन, दि प्रोसेस आफ मैनेजमेंट।
9. टेरी जी आर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
10. भण्डारण निगम अधिनियम 1962 से उद्घृत ।
11. दि टाईम्स ऑफ इण्डिया, न्यू दिल्ली 4 अक्टूबर, पृष्ठ 17.

*****